FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. **District (जिला):** JAIPUR CITY (EAST) **P.S. (थाना):** GANDHI NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)) **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0003 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/01/2026 16:23 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(3)
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	340(2)
6	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. Day(दिन): मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 09/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 09/12/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/01/2026 **Time (समय):** 16:08 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 021 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/01/2026 16:08:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** दक्षिण - पूर्व, 2.81 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** झालाना कार्यालय

(b)**Address(पता):** RTO OFFICE, JAIPUR FIRST

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Shri Swayam Prakash Swami

(b) Father's Name (पिता का नाम): Late Shri Kalyan Das Swami

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1968

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue
(जारी करने की तिथि):

Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	At Present Additional Administrative Officer, RTO Jaipur First, Jhalana Dungri Jaipur, GANDHI NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	1H55, Sabarmati Marg, Indira Gandhi Nagar, Jagatpura, Jaipur, KHO NAGORIYAN, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9829068886

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना गांधी नगर जयपुर। विषय- प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रथम में पंजीकृत पुराने वाहनो के पंजीयन नम्बरों में बैकलॉग एन्ट्री कर कूटरचना पूर्वक कर राजस्व हानि व पद के दुरूपयोग करने वाले कार्मिकों/अधिकारियों/दलालों व वाहन स्वामियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है श्रीमान् अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग के पत्रांक राजकाज संदर्भ 19258920 दिनांक 09.12.2025 के अनुसरण में 7 डिजीट वाहनों के बैकलॉग, हस्तानान्तरण, नवीनीकरण, रिटेनसन सहित अन्य व्यापक हुई गडबडियों की विभागीय स्तर पर निर्देशानुसार जांच करवाई गई। जांच में विभागीय स्तर पर गठित टीम गठन कर प्रकरण की गहनता से जांच कराई गई, जिसमें निम्न तथ्य पाए गए- सन् 1989 से पूर्व वाहनों की संख्या सीमित होने के कारण विभाग द्वारा वाहनों के सात अंकों तक की सीरीज में पंजीयन कर पंजीयन संख्या (Vehicle Registration Number) जारी की जाती थी, जिसमें प्रथम तीन अंक अल्फाबेट व अंतिम चार अंक नंबरों में होते थे। वाहनों की संख्या अधिक होने पर व वाहनों के प्रकार (परिवहन एवं गैर परिवहन श्रेणी) में विभाजन नहीं होने के कारण विभाग द्वारा नई दस डिजिट की सीरीज प्रारम्भ की गई। पुराने समय में विभाग द्वारा वाहनों का पंजीकरण कर उनका इन्द्राज विभागीय Ledger/रजिस्टर में किया जाकर रिकॉर्ड का संधारण किया जाता था। इसके उपरान्त कार्यालय आदेश संख्या 27/2013 द्वारा पूर्व में पंजीकृत समस्त परिवहन वाहनों को बैकलॉग के द्वारा वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन्द्राज उपरान्त ही विभिन्न सेवाएं दिये जाने के निर्देश दिये जाने पर पुराने वाहनों का रिकॉर्ड, जो विभागीय Ledger/रजिस्टर में ही था, को वाहन 4.0 पर ऑनलाईन करने हेतु पुराने वाहनों का बैकलॉग प्रारम्भ किया गया, ताकि आमजन अपने वाहन की संपूर्ण जानकारी वाहन पोर्टल/mparivahan पोर्टल पर घर बैठे ही देख सके। तत्पश्चात् विभाग द्वारा आदेश जारी कर Anywhere Registration सुविधा प्रारम्भ की, जिससे संपूर्ण राजस्थान में गैर परिवहन वाहनों के वाहन स्वामी अपने वाहन का किसी भी नजदीकी परिवहन कार्यालय में नया पंजीयन, स्वामित्व हस्तान्तरण, वाहन का पंजीयन नवीनीकरण करा सकते हैं, जिसका इन्द्राज रजिस्टर व पंजीयन प्रमाण पत्र पर मैनुअल कराने के स्थान पर वाहन पोर्टल पर ऑनलाईन होता है। लेकिन पुराने वाहनों का नम्बर दूसरे वाहन पर लेना (Swapping/Retention) का कार्य विभाग के कार्यालय आदेश 2003 के तहत केवल मूल पंजीयन अधिकारी के कार्यालय से ही किया जा सकता था। वर्तमान में पूर्व में सन् 1989 से पूर्व के प्रचलित वाहनों की पंजीयन प्रकिया में बैकलॉग करके नवीनीकरण करते समय मूल पंजीयन प्रमाण पत्र व वाहन का निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होता है, लेकिन विभाग में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी तथा वाहन स्वामियों द्वारा अवैध रूप से मिलीभगत कर वाहन की वैद्यता समाप्त होने के बाद भी बिना अपील के वाहनों का बैकलॉग कर अनियमितता की गई। वर्ष 2016 से 2018 तक परिवहन मुख्यालय के आदेश कमांक 35/2016 द्वारा सभी RTO/DTO को पुरानी सीरीज को निरस्त करने के आदेश दिये थे, आदेशानुसार पूरे राजस्थान में इन सीरीजों को निरस्त कर दिया गया, सीरीज निरस्त होते ही जिनके पंजीयन प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं था, उनके पंजीयन स्वतः समाप्त हो गए। ऐसे वाहनों का नवीनीकरण केवल राजस्थान मोटर वाहन अधिनियम 1989 के के नियम 4.15 से RTO के समक्ष अपील पेश करके संचालन योग्य गाडी व इसके मूल दस्तावेज पेश करके ही आर.सी. को रिस्टोर किया जा सकता था। लेकिन विभाग में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी तथा वाहन स्वामियों द्वारा अवैध रूप से मिलीभगत कर बिना किसी अपीलीय प्रक्रिया के ही अवैध तरीके से षडयंत्रपूर्वक थ्री डिजिट (सन् 1989 से पूर्व में प्रचलित वाहनों की पंजीयन सीरीज) के पंजीयन संख्या के आवंटन का कार्य किया गया। ऐसे तीन सीरीज नंबरों के वाहन जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है व नवीनीकरण नहीं कराया गया, अथवा कबाड में बेच दिये गए, उनकी पहचान कर दलालों द्वारा गिरोह / विभाग में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से मिली भगत कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कार्यालय में निजी व्यक्तियों द्वारा बैकलॉग कराकर अन्य वाहनों को

ऐसे फैन्सी श्रेणी में आने वाले पंजीयन संख्या (सन् 1989 से पूर्व में प्रचलित वाहनों की पंजीयन सीरीज) आवंटित कर दी गई तथा विभागीय रिकार्ड रजिस्टर में से पूर्व में जारी वाहन स्वामीयों के रिकार्डो के पेज फाडकर अथवा उनकी जगह बदलकर वापस लगा दिये गये एवं अन्य जिलों/समकक्ष परिवहन कार्यालयों से उक्त पंजीयन संख्या का हस्तानान्तरण अन्य वाहन स्वामियों (लाभार्थियों) के नाम करा लिया गया। परिवहन एवं गैर परिवहन श्रेणी के वाहनों के पंजीयन क्रमांक में भिन्नता नहीं होने के कारण, परिवहन वाहनों का डेटा बैकलॉग में गैर परिवहन वाहनों की श्रेणी (मोटर कार) में दर्ज कर दिया गया, जिससे वह नंबर आज तक अस्तित्व में है एवं अन्य कार्यालयों में भी अब तक इनका कार्य यथा हस्तानान्तरण/नवीनीकरण कराया जा रहा है, जबकि विभागीय नियमानुसार परिवहन श्रेणी के वाहनों की वैद्यता 15 वर्ष बाद समाप्त होने के कारण अन्य कार्यालयों में कार्य यथा हस्तानान्तरण/नवीनीकरण नहीं कराया जा सकता था। ऐसे वाहनों का वाहन पोर्टल पर बैकलॉग करने से पूर्व ही विभाग में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी, दलालों तथा वाहन स्वामियों द्वारा अवैध रूप से मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर तत्समय प्रचलित स्मार्ट चिप वाले पंजीयन प्रमाण पत्र तैयार किये गए, तत्पश्चात् उसी कूटरचित पंजीयन प्रमाण पत्र धारक के नाम से विभागीय पोर्टल वाहन 4.0 पर बैकलॉग करवा, धोखाधडी से वाहनों का हस्तान्तरण अन्य वाहन स्वामियों के नाम कराकर उन्हें ऐसे फैन्सी श्रेणी में आने वाले तीन सीरीज की वाहन संख्या अलॉट कर दी गई। बैकलॉग में दर्ज मूल वाहन स्वामी, जिसके नाम को बिना संज्ञान में वाहन का बेचान कर दिया गया, जिससे वाहन अन्य व्यक्ति के नाम हस्तान्तरित हो गया, जिसकी सूचना मूल वाहन स्वामी तक आदिनांक तक नहीं है। 1989 में तीन सीरीज वाले वाहनों की सीरीज विभाग द्वारा समाप्त किये जाने पर अंतिम सीरीज RPX(closed after 3535) के शेष बिना पंजीकृत क्रमांक 4444, 5000, 5151, 5555, 7000, 7777, 8888, 9000 भी बैकलॉग के माध्यम से अवैध रूप से अन्य वाहन स्वामियों (लाभार्थियों) को जारी कर दिये गए। इस प्रकार ऐसे नंबर भी गाडियों को आवंटित किये गए हैं, जो नम्बर कभी परिवहन विभाग द्वारा जारी ही नहीं किये गये, अर्थात् फर्जकारी कर नऐ फैन्सी नंबर बनाये गये । विभाग में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी, दलालों तथा वाहन स्वामियों द्वारा अवैध रूप से मिलीभगत कर बैकलॉग में वाहन स्वामियों के नाम/चैसिस/इंजिन नंबर परिवर्तित कर अन्य वाहन स्वामियों के नाम वाहन किये गए साथ ही बैकलॉग में वाहन की बिना नवीनीकरण किये ही वैद्यता भी बढा कर राजस्व हानि कारित की गई। वाहनों के प्रकार बदलकर जैसे मोटर साईकिल को मोटर कार में परिवर्तित किया गया/ट्रक/बस/पिकअप श्रेणी के परिवहन वाहनों को मोटर कार में परिवर्तित कर बैकलॉग किया गया। संगठित रूप से इस गडबडी को अंजाम देने में विशेष गिरोह का हाथ है, जिनके द्वारा फर्जी तरीके से बिना वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा व कागज पर चैसिस Impression इत्यादि कागजात तैयार किये गए, जिनको विभागीय कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर नियमविरूद्ध दस्तावेजों की बिना जांच किये वैरिफाय एप्रूवल कर नियमविरूद्ध रिटेन्शन (पुराने वाहन का नंबर नए वाहन पर लेना) कराया गया, जबकि पुराने वाहन के नवीनीकरण के समय मुख्यालय के आदेशानुसार वाहन का भौतिक निरीक्षण किया जाना एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजो की जांच किया जाना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ वाहन संख्या RNB0055 Truck का पंजीयन दिनांक 13.10.1981 को वाहन मालिक श्री चिरंजी लाल पुत्र ख्याली राम के नाम पर परिवहन श्रेणी (Transport) में किया गया। जिसका इन्द्राज विभागीय Ledger / रजिस्टर में किया गया, जिसमें 1985-86 तक का टैक्स जमा करवाने का इन्द्राज है। जिसका अवैध रूप से मोटरकार Willy Jeep (गैर परिवहन श्रेणी में) श्रेणी में श्री कुंज बिहारी निवासी 364, तोपखाना, हजूरी चांदपोल बाजार, जयपुर, 302020 के नाम से दिनांक 08.03.2025 को श्री सुरेश कुमार तनेजा, प्र.अ. द्वारा बैकलॉग इन्द्राज/वैरिफाय एवं एप्रूवल कर दिया गया, जबकि नियमानुसार उक्त वाहन संख्या RNB 0055 का पंजीयन पन्द्रह वर्ष पूर्ण होने के कारण 12.10.1996 को निरस्त हो चुका था। दलालों तथा अवैध वाहन स्वामियों (लाभार्थियों) द्वारा अवैध रूप से मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर तत्समय प्रचलित स्मार्ट चिप वाले पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि तैयार कर, सलूम्बर परिवहन कार्यालय में पेश कर वाहन हस्तान्तरण दिनांक 11.03.2025 को श्री शिवदत्त शर्मा पुत्र श्री चंदन सिंह, निवासी श्री उदयकृषि फार्म, तिनवारी बरला बासनी, जोधपुर, राजस्थान के नाम करा दिया गया। उक्त प्रक्रिया में पंजीयन संख्या RNB0055 का वाहन 4.0 पर दिनांक 08.03.2025 को बैकलॉग कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही दिनांक 10.03.2016 तक की वैद्यता वाली तत्समय प्रचलित स्मार्ट चिप वाले पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दी गई। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उपरोक्त प्रचलित स्मार्ट कार्ड में लगी हुई चिप विभाग द्वारा आवंटित की गई हैं, जिसका संधारण विभाग में किया जाता है। उपरोक्त मामले में स्मार्ट कार्ड में लगी चिप लाभार्थी/गिरोह को विभाग से किस प्रकार उपलब्ध करवाई गई है, यह भी संदेहास्प्रद है। वर्तमान में उक्त पंजीयन संख्या श्री शिवदत्त शर्मा द्वारा अवैध रूप से उपयोग में ली जा रही है। वाहन का कभी भी नवीनीकरण नहीं कराया गया। वाहन/पंजीयन संख्या का प्रथम धारक श्री चिरंजीलाल से श्री कुंज बिहारी के नाम पर हस्तान्तरण नहीं किया गया। वाहन की श्रेणी बैकलॉग में परिवहन से गैर परिवहन में परिवर्तित की गई है, जो विभाग के नियमानुसार अवैध है। विभागीय नियमानुसार परिवहन यानों का नवीनीकरण करने पर नयी पंजीयन संख्या आवंटित होती है। उक्त संपूर्ण प्रक्रिया में वाहन की बैकलॉग में एन्ट्री/वैरिफाय/एप्रूवल करने वाले कार्मिक, श्री सुरेश कुमार तनेजा, प्र.अ. तथा सलूम्बर परिवहन कार्यालय के अधिकारी जिन्होंने हस्तान्तरण प्रकिया सम्पन्न की है, कूटरचित रूप से दस्तावेजों के आधार पर स्मार्ट चिप वाला पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण के दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह तथा वाहन स्वामी से अवैध

रूप से मिली भगत स्पष्ट होती है। उक्त प्रक्रिया में यह भी संदेहजनक है कि बीमा, प्रदूषण जारी करने वाले कार्यालय / सेन्टर तथा वाहन का भौतिक निरीक्षण करने वाले परिवहन कार्यालय भिन्न-भिन्न रहे हैं, जबकि उक्त दस्तावेज एक ही दिनांक को जारी हुए हैं। इसी प्रकार जिन वाहनों के पंजीयन अवैध रूप से किये गए हैं, उनकी जांच रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न है, जिसमें विभाग में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा विभिन्न दलालों तथा वाहन स्वामियों से अवैध रूप से मिलीभगत कर अवैध पंजीयन संख्या जारी की गई हैं। इस प्रकार नियमविरूद्ध जाकर कूटरचित दस्तावेज बनाने, रिकॉर्ड को गायब करने, रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने, पद का दुरूपयोग करने, राजस्व हानि कारित करने व सामूहिक आपराधिक गिरोह के रूप में इस घटना को अंजाम देने में शामिल अधिकारी/कार्मिक, जो उक्त अवधि में पदस्थापित थे। जांच के दौरान संबंधित जांच दलों से जांच करने पर यह स्पष्टतः साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि इस दौरान रिपोर्ट में वर्णित कर्मचारियों / अधिकारियों व अन्य के द्वारा राजस्व व रिकार्ड में हेराफेरी करते हुए राजस्व रिकार्ड में दस्तावेजों की कूटरचना व कूटरचित इन्द्राज कर राजस्व हानि पहुंचाने के उददेश्य व स्वंय एवं तथाकथित अन्य लोगों बेकलॉग के तहत वाहन के नम्बर दिया जाकर उसका पंजीकरण किये जाने के उद्देश्य स्वरूप आपसी षडयंत्र कर परिवहन विभाग के रिकार्ड में हेराफेरी की पंजीयन स्वामी को सूचना ना होने के उपरान्त उसके द्वारा वाहन का हस्तान्तरण ना किये जाने पर ऐसे वाहनों को कथाकथित अन्य व्यक्तियों के नाम से हस्तान्तरित किये वाहन के चैचिस नम्बर व पंजीयन दिनांकों में फेर बदल किया गया पंजीकृत वाहनों के रिकार्ड में फेरबदल किया एवं भौतिक रूप से नष्ट व निरस्त किये गये वाहनों को पोर्टल के माध्यम से बेकलॉग में चढाया जाकर राजस्व को हानि पहुंचाई एवं स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करते हुए कूटरचना की एवं अपने पद का दुरूपयोग करते हुए षडयंत्र कर बाहरी दलालों से मिलीभगत कर कथाकथित लोगों को बेकलॉग के आधार पर पूर्व के नम्बर आवंटित किये जाने आपराधिक कृत्य किया है जिसकी परिवहन मुख्यालय के पत्रांक से परिवहन कार्यायल प्रथम द्वारा जांच की जिस पर परिवहन कार्यालय प्रथम के द्वारा जिला परिवहन कार्यालय व अन्य जिला परिवहन कार्यालय से रिकार्ड लिया जाकर विस्तृत जांच की गई जिसमें ऐसे आपराधिक कृत्य का खुलासा हुआ एंव ऐसे गंभीर अपराध जिसमें विभाग के दस्तावेजों में ही कूटरचना पाई गई बल्कि परिवहन विभाग को इन कर्मचारियों द्वारा दलालो से अवैध रूप से मिलीभगत कर ना केवल आपराधिक कार्य किया है, बल्कि राजस्व हानि भी पहुंचाई है, क्योंकी उक्त पंजीयन नम्बरों की विभागीय नियमानुसार प्रक्रिया मे से अधिकतर वाहनों की या तो अविधिकपूर्वक वैलिडिटी बढाई गई है जिससे आवश्यक फीस / ग्रीन टैक्स जमा नहीं हुआ है। समय पर नवीनीकरण नहीं होने से नवीनीकरण फीस को बसूला नही गया। नियमानुसार कार्य करने से राजस्व की प्राप्ति होती। इस प्रकार राजस्व को हानि पहुंचाई जो जांच रिपोर्ट कि वह उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न है। अतः प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित समस्त पंजीयन नम्बरों संहित अपने-अपने क्षैत्राधिकार के समस्त परिवहन कार्यालयों में नियम विरूद्ध पंजीयन संख्याओं को बैकलॉग में इन्द्राज/वैरिफाई/एप्रूवल करने वाले तथा कूटरचना कर पंजीयन प्रमाण पत्र तैयार करने वाले दोषी विभागीय कार्मिकों, दलालो तथा लाभार्थियों / वाहन स्वामियो एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी, व्यक्तिगत लाभ, पदीय स्थिति का दुरुपयोग, राज्य सरकार को हुई राजस्व हानि एवं विभाग की छवि धूमिल करने हेतु विधिसम्मत काननी कार्यवाही कराते हुये भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, 201, 241, 316, 318, 319, 324, 336, 337, 338, 340, 341, 343, 344 का अपराध घटित किया गया है तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 B एवं 210 B व अन्य सुंसगत धाराओं तथा प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य बीएनएस की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न- नियम विरूद्ध पंजीकृत वाहन मय दोषी कार्मिको की सूची।----राजस्थान सरकार कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम क्रमांक- परि / जि.प.अ. / जांच /2025 / दिनांक श्रीमान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दिनांक जयपुर प्रथम। विषय- तीन अक्षरों की पंजीयन श्रेणी वाले पुराने वाहनों के पंजीकरण नम्बरों की बैकलॉग ऐंट्री की जांच रिपोर्ट। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रथम में पुराने वाहनों के पंजीकरण नम्बरों के नियम विरुद्ध बैकलॉग एंट्री कर दुरूपयोग करनें के प्रकरणों की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनें के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया गया। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मुख्यालय द्वारा बैकलॉग किए गये पुराने वाहनों (तीन अक्षरों की पंजीयन श्रेणी) की जाँच हेतु प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर प्रथम से संबंधित 2129 वाहनों की सूची उपलब्ध करवाई गयी थी। जाँच कार्य हेतु गठित कमेटी में कार्यालय के राजकाज आदेश क्रमांक 19408364 दिनांक 16.12.2025, संशोधित आदेश क्रमांक परि / जि.प.अ / जांच / 2025 / 28895 दिनांक 19.12.2025 तथा परि / जि.प.अ / जांच / 2025 / 28902 दिनांक 19.12.2025 द्वारा गठित दलों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में वांछित सूचना मूल रिकॉर्ड से इन्द्राज किये जाने हेतु सहयोग लिया गया।(प्रत्ति संलग्न) गठित दलों को राजकाज आदेश क्रमांक 19408364 दिनांक 16.12.2025 के द्वारा वाहनों की क्रम संख्या के अनुसार वाहनों का आवंटन किया गया था परन्तु बाद में इसमें परिवर्तन कर वाहनों की सीरीज के अनुसार सभी दलों को जाँच हेतु वाहनों की सूची उपलब्ध करवायी गयी थी। जिसके अनुरूप सभी दलों की बिन्दू वार रिपोर्ट विवरण निम्नानुसार है- बिन्दू 1 रिकॉर्ड प्राप्त व अप्राप्त- सभी दलों को कुल 2129 वाहनों की सूची जाँच कार्य हेतु आवंटित की गयी थी जिसमें से जयपुर प्रथम कार्यालय में प्रथम बार पंजीकृत सीरीज के कुल 1855 वाहनों में से 1538 वाहनों का पंजीयन रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ कुल 317 वाहनों का रिकॉर्ड अप्राप्त पाया गया। रिकॉर्ड अप्राप्त वाहनों का बैकलॉग एंट्री, वैरिफाई व अप्रूवल का कार्य निम्नांकित

कार्मिकों के द्वारा किया गया है जिसके लिए कार्मिक स्वयं जिम्मेदार है- (Annexure-1) बैकलॉग एंट्री करने वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या- AYUB KHAN- 5, DIVESH BATRA- 77, JAHANGIR ALI KHAN-2, JITENDRA KUMAR VERMA- 3, NEENA SUKHIJA- 52, RAJEEV TYAGI- 1, ROHITASH KUMAR GURJAR- 2, SANJEEV BHARDWAJ- 1, SHIV DADHICH- 87, SHOHIL KHAN- 3, SUNIL KUMAR SAINI- 3, SURESH KUMAR TANEJA- 81, बैकलॉग वैरिफाई करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AMIT TANWANI- 2, AYUB KHAN- 85, DINESH KUMAR SHARMA- 3, GAURAV SHARMA- 14, GOVIND PUROHIT- 13, JAHANGIR ALI KHAN- 79, KAPIL BHATIA- 2, MEGHA SHRIMAL-2, MUKESH KUMAR MEENA- 3, NARENDRA KUMAR JAVA- 1, NIKHIL SONI- 1, PRADEEP BHARDWAJ- 2, RAJ SINGH- 8, SURENDRA SINGH GULIA- 2, SURESH KUMAR TANEJA- 89, VINOD SHARMA- 11, बैकलॉग अप्रुवल करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 61, DHARAMPAL SINGH ASHIWAL- 3, DINESH KUMAR SHARMA- 4, GAURAV SHARMA- 1, GOVIND PUROHIT- 9, JAHANGIR ALI KHAN- 79, JITENDRA MATHUR- 1, MUKESH KUMAR MEENA- 3, NARENDRA KUMAR JAVA- 1, PARASH RAM JAT- 15, RAJ SINGH-8, RAJEEV TYAGI- 9, RAMESH CHANDRA MEENA- 11, ROHITASH KUMAR GURJAR- 2, SANJAY SHARMA- 1, SANJEEV BHARDWAJ- 8, SUNIL KUMAR SAINI- 6, SURENDRA SINGH GULIA- 2, SURESH KUMAR TANEJA- 82, VINOD SHARMA- 11, अन्य जिलों में पंजीकृत सीरीज जिनके बैकलॉग जयपुर प्रथम कार्यालय में किए गये ऐसे कुल 273 वाहन पाये गये हैं। वाहनों की सीरीज अन्य जिलों की पंजीकृत होने के उपरान्त भी जयपुर प्रथम कार्यालय में बैकलॉग किए गये हैं। वाहनों का बैकलॉग एंट्री, वैरिफाई व अप्रूवल का कार्य निम्नांकित कार्मिकों के द्वारा किया गया है जिसके लिए कार्मिक स्वयं जिम्मेदार है- (Annexure-2) बैकलॉग एंट्री करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या PARASH RAM JAT- 1, AYUB KHAN- 8, DIVESH BATRA- 91, JITENDRA KUMAR VERMA- 8, NARENDRA KUMAR JAVA- 1, NEENA SUKHIJA- 48, RAJ SINGH- 1, RAJEEV TYAGI- 5, RAMESH CHANDRA MEENA-1, SANJEEV BHARDWAJ- 1, SHIV DADHICH- 95, SUNIL KUMAR SAINI-1, SURESH KUMAR TANEJA-11, VISHVAS- 1, बैकलॉग वैरिफाई करने वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AMIT TANWANI- 1, AYUB KHAN- 39, GAURAV SHARMA- 5, GOVIND PUROHIT- 18, JAHANGIR ALI KHAN- 19, KAPIL BHATIA- 2, MUKESH KUMAR MEENA- 2, NARENDRA KUMAR JAVA- 39, PRADEEP BHARDWAJ- 35, RAJ SINGH- 70, ROHITASH KUMAR GURJAR- 1, SURESH KUMAR TANEJA- 42, बैकलॉग अप्रुवल करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 34, DHARAMPAL SINGH ASHIWAL- 10, INDU- 2, JAHANGIR ALI KHAN- 15, MUKESH KUMAR MEENA- 1, NARENDRA KUMAR JAVA- 8, PARASH RAM JAT- 24, PRAKASH TAHILIANI- 1, RAJ SINGH- 29, RAJEEV TYAGI- 39, RAM KRISHAN CHOUDHARY-3, RAMESH CHANDRA MEENA- 43, RAMESH PANDEY- 3, ROHITASH KUMAR GURJAR- 2, SANJAY SHARMA- 5, SANJEEV BHARDWAJ- 18, SUNIL KUMAR SAINI- 7, SURESH KUMAR TANEJA- 29, बिन्दू संख्या 2 श्रेणी में परिवर्तन- कुल 2129 वाहनों में से 18 वाहन में श्रेणी परिवर्तन पाया गया है। वाहनों का बैकलॉग एंट्री, वैरिफाई व अप्रूवल का कार्य निम्नांकित कार्मिकों के द्वारा किया गया है जिसके लिए कार्मिक स्वयं जिम्मेदार है- (Annexure-3) बैकलॉग एंट्री करने वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN-1, DIVESH BATRA- 3, NEENA SUKHIJA- 2, SHIV DADHICH- 3, SURESH KUMAR TANEJA- 9, बैकलॉग वैरिफाई करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 3, GAURAV SHARMA- 1, JAHANGIR ALI KHAN- 2, NARENDRA KUMAR JAVA- 1, RAJ SINGH- 2, SURESH KUMAR TANEJA- 9, बैकलॉग अप्रुवल करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 3, JAHANGIR ALI KHAN- 2, RAJ SINGH- 2, RAJEEV TYAGI- 1, SANJEEV BHARDWAJ- 1, SURESH KUMAR TANEJA- 9, बिन्दू संख्या 3 वाहन के प्रकार में परिवर्तन- कुल 2129 वाहनों में से कुल 27 वाहन के प्रकार में परिवर्तन नहीं पाया गया है। वाहनों का बैकलॉग एंट्री, वैरिफाई व अप्रुवल का कार्य निम्नांकित कार्मिकों के द्वारा किया गया है जिसके लिए कार्मिक स्वयं जिम्मेदार है- (Annexure-4) बैकलॉग एंट्री करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 1, DIVESH BATRA- 7, NEENA SUKHIJA- 7, SHIV DADHICH- 3, SURESH KUMAR TANEJA- 9, बैकलॉग वैरिफाई करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 8, GOVIND PUROHIT- 2, JAHANGIR ALI KHAN- 4, MUKESH KUMAR MEENA- 1,

NARENDRA KUMAR JAVA- 1, RAJ SINGH- 2, SURESH KUMAR TANEJA- 9, बैकलॉग अप्रुवल करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 6, GOVIND PUROHIT- 1, JAHANGIR ALI KHAN- 4, MUKESH KUMAR MEENA- 1, PARASH RAM JAT- 1, RAJ SINGH- 2, RAMESH CHANDRA MEENA- 2 , SANJEEV BHARDWAJ- 1, SURESH KUMAR TANEJA- 9 , बिन्दू संख्या4 चेसिस में परिवर्तन (आंशिक / पूर्ण) - कुल 2129 वाहनों में से कुल 701 वाहनों के चेसिस में परिवर्तन (आंशिक / पूर्ण) पाया गया है। वाहनों का बैकलॉग एंट्री, वैरिफाई व अप्रुवल का कार्य निम्नांकित कार्मिकों के द्वारा किया गया है जिसके लिए कार्मिक स्वयं जिम्मेदार है- (Annexure-5) बैकलॉग एंट्री करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 7, DEVESH BATRA- 2, DINESH KUMAR SHARMA- 1, DIVESH BATRA- 202, JITENDRA KUMAR VERMA- 6, KAPIL BHATIA- 1, NEENA SUKHIJA- 186, RAJEEV TYAGI- 6, RAMESH CHANDRA MEENA- 1, SHIV DADHICH- 254, SOHAIL KHAN- 6, SURESH KUMAR TANEJA- 21, VISHVAS- 8, बैकलॉग वैरिफाई करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AMIT TANWANI- 3, AYUB KHAN- 213, DINESH KUMAR SHARMA- 9, GAURAV SHARMA- 35, GOTAM KUMAR UPADHYAY- 1, GOVIND PUROHIT- 61, JAHANGIR ALI KHAN- 197, JAYSHREE- 1, KAPIL BHATIA- 1, MUKESH KUMAR MEENA- 5, NARENDRA JAVA- 3, NARENDRA KUMAR JAVA- 12, NIDHI GAUTAM- 1, PRADEEP BHARDWAJ- 5, RAJ SINGH- 28, SURESH KUMAR TANEJA- 56, VINOD SHARMA- 70, बैकलॉग अप्रूवल करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 136, DHARAMPAL SINGH ASHIWAL- 33, DINESH KUMAR SHARMA- 8, GAURAV SHARMA- 7, GOVIND PUROHIT- 34, JAHANGIR ALI KHAN- 193, JITENDRA MATHUR- 1, MUKESH KUMAR MEENA- 3, NARENDRA KUMAR JAVA- 1, PARASH RAM JAT- 25, PRADEEP BHARDWAJ- 1, PRAKASH TAHILIANI- 1, RAJ SINGH- 27, RAJEEV TYAGI- 45, RAM KRISHAN CHOUDHARY- 2, RAMESH CHANDRA MEENA- 40, RAMESH PANDEY- 2, ROHITASH KUMAR GURJAR- 2, SANJAY SHARMA- 7, SANJEEV BHARDWAJ- 20, SUNIL KUMAR SAINI- 2, SURESH KUMAR TANEJA- 41, बिन्दू संख्या5 पंजीयन तिथि में परिवर्तन- कुल 2129 वाहनों में से कुल 371 वाहनों के पंजीयन तिथि में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार परिवर्तन पाया गया है। वाहनों का बैकलॉग एंट्री, वैरिफाई व अप्रुवल का कार्य निम्नांकित कार्मिकों के द्वारा किया गया है जिसके लिए कार्मिक स्वयं जिम्मेदार है- (Annexure-6) बैकलॉग एंट्री करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 3, DEVESH BATRA- 1, DIVESH BATRA- 149, JAGDISH PRASAD YADAV- 1, JAHANGIR ALI KHAN- 1, JITENDRA KUMAR VERMA- 3, KAPIL BHATIA- 2, NEENA SUKHIJA- 84, RAJEEV TYAGI- 2, SHIV DADHICH- 90, SOHAIL KHAN- 5, SURESH KUMAR TANEJA- 27, VISHWAS- 3, बैकलॉग वैरिफाई करने वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 112, DINESH KUMAR SHARMA- 3, GAURAV SHARMA- 19, GOVIND PUROHIT- 35, JAHANGIR ALI KHAN- 95, KAPIL BHATIA- 3, MUKESH KUMAR MEENA- 2, NARENDRA KUMAR JAVA- 6, NIDHI GAUTAM- 1, PRADEEP BHARDWAJ- 3, PRAKASH TAHILIANI- 1, RAJ SINGH-17, SURESH KUMAR TANEJA- 46, VINOD SHARMA- 28 बैकलॉग अप्रुवल करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 72, DHARAMPAL SINGH ASHIWAL- 16, DINESH KUMAR SHARMA- 2, GAURAV SHARMA- 5, GOVIND PUROHIT- 17, JAHANGIR ALI KHAN- 98, JITENDRA MATHUR- 1, MUKESH KUMAR MEENA- 3, PARASH RAM JAT- 12, PRADEEP BHARDWAJ- 1, PRAKASH TAHILIANI- 2, RAJ SINGH- 15, RAJEEV TYAGI- 22, RAM KRISHAN CHOUDHARY- 1, RAMESH CHANDRA MEENA- 22, RAMESH PANDEY- 2, ROHITASH KUMAR GURJAR- 3, SANJAY SHARMA- 2, SANJEEV BHARDWAJ- 5, SUNIL KUMAR SAINI- 3, SURESH KUMAR TANEJA- 40, VINOD SHARMA- 27 , बिन्दू संख्या6 वाहन स्वामी के नाम में परिवर्तन- कुल 2129 वाहनों में से कुल 26 वाहनों के वाहन स्वामी के नाम में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार परिवर्तन पाया गया है। वाहनों का बैकलॉग एंट्री, वैरिफाई व अप्रुवल का कार्य निम्नांकित कार्मिकों के द्वारा किया गया है जिसके लिए कार्मिक स्वयं जिम्मेदार है- (Annexure-7) बैकलॉग एंट्री करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या VISHVAS- 1, AYUB KHAN- 2, DIVESH BATRA- 38, JITENDRA KUMAR VERMA- 1, NEENA SUKHIJA- 26, SHIV DADHICH- 37, SURESH KUMAR TANEJA- 27, बैकलॉग वैरिफाई करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 31, GAURAV SHARMA- 4, GOVIND PUROHIT- 10, JAHANGIR ALI KHAN- 32, MUKESH

KUMAR MEENA- 2, NARENDRA KUMAR JAVA- 5, PRADEEP BHARDWAJ- 2, PRAKASH TAHILIANI- 1, RAJ SINGH- 6, SURESH KUMAR TANEJA- 31, VINOD SHARMA- 8 बैकलॉग अप्रुवल करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 25, DHARAMPAL SINGH ASHIWAL- 2, GOVIND PUROHIT-4, JAHANGIR ALI KHAN- 32, MUKESH KUMAR MEENA- 1, NARENDRA KUMAR JAVA- 1, PARASH RAM JAT- 5, PRAKASH TAHILIANI-1, RAJ SINGH- 4, RAJEEV TYAGI- 7, RAMESH CHANDRA MEENA- 6, RAMESH PANDEY- 2, ROHITASH KUMAR GURJAR- 1, SANJAY SHARMA- 1, SANJEEV BHARDWAJ- 5, SUNIL KUMAR SAINI- 1, SURESH KUMAR TANEJA- 26 , VINOD SHARMA- 8, बिन्दू संख्या7 वाहन के चेसिस, पंजीयन तिथि तथा वाहन स्वामी के नाम (तीनों विवरण) में परिवर्तन- कुल 2129 वाहनों में से कुल 74 वाहनों के चेसिस (आंशिक/पूर्ण), पंजीयन तिथि तथा वाहन स्वामी के नाम (तीनों विवरण) में उपलब्ध करवाये गये पंजीयन रिकॉर्ड अनुसार परिवर्तन पाया गया है। वाहनों का बैकलॉग एंट्री, वैरिफाई व अप्रुवल का कार्य निम्नांकित कार्मिकों के द्वारा किया गया है जिसके लिए कार्मिक स्वयं जिम्मेदार है- (Annexure-8) बैकलॉग एंट्री करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या VISHVAS- 1, AYUB KHAN-1, DIVESH BATRA- 19, NEENA SUKHIJA- 15, SHIV DADHICH- 21, SURESH KUMAR TANEJA- 17, बैकलॉग वैरिफाई करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 20, GAURAV SHARMA- 3, GOVIND PUROHIT- 5, JAHANGIR ALI KHAN- 17, MUKESH KUMAR MEENA- 1, NARENDRA KUMAR JAVA- 4, PRADEEP BHARDWAJ- 1, RAJ SINGH- 2, SURESH KUMAR TANEJA- 19, VINOD SHARMA- 2, बैकलॉग अप्रुवल करनें वाले कार्मिकों का विवरण- कार्मिक का नाम, कुल वाहनों की संख्या AYUB KHAN- 16, DHARAMPAL SINGH ASHIWAL- 1, GOVIND PUROHIT- 1, JAHANGIR ALI KHAN- 17, NARENDRA KUMAR JAVA- 1, PARASH RAM JAT- 3, RAJ SINGH- 2, RAJEEV TYAGI- 6, RAMESH CHANDRA MEENA- 5, SANJEEV BHARDWAJ- 3, SURESH KUMAR TANEJA- 17, VINOD SHARMA- 2, निष्कर्ष- 1. जिला जयपुर प्रथम के क्षेत्राधिकार में आवंटित सीरीज के कुल 1855 वाहनों में 1538 वाहनों का ही पंजीयन रजिस्टर में रिकॉर्ड उपलब्ध पाया गया ऐसे में शेष 317 वाहनों जिनका कार्यालय में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं पाया गया अथवा पंजीयन रजिस्टर के पृष्ठ खुर्दबुर्द अथवा अपठनीय स्थिति में पाये गये। उनके द्वारा बैकलॉग के समय कार्यालय में उपलब्ध मूल पंजीयन रिकॉर्ड से मिलान एवं सत्यापन कर वाहन का बैकलॉग किया जाना अपेक्षित था किन्तु कार्यालय में रिकॉर्ड उपलब्ध न होने अथवा पंजीयन रजिस्टर के पृष्ठ खुर्दबुर्द अथवा अपठनीय स्थिति में होने पर बैकलॉग किया गया। ऐसी स्थिति में वाहन का बैकलॉग संबंधित कार्मिक/अधिकारी द्वारा किस रिकॉर्ड के आधार पर किया गया यह अस्पष्ट होने के फलस्वरूप कार्मिक/अधिकारी का प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध होता है। 2. जिला जयपुर प्रथम के क्षेत्राधिकार में आवंटित सीरीज के अतिरिक्त 273 वाहन ऐसे पाये गये जिनका पंजीयन क्रमांक अन्य जिलों के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। वाहनों की सीरीज अन्य जिलों को आवंटित होने के उपरान्त भी इन वाहनों का बैकलॉग कार्यालय में किया गया जबकि यह अपेक्षित था कि संबंधित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय से ही इन वाहनों का बैकलॉग किया जाता क्योंकि कार्यालय में इन वाहनों से संबंधित रिकॉर्ड संधारित नहीं था। अतः ऐसी स्थिति में वाहन का बैकलॉग संबंधित कार्मिक/अधिकारी द्वारा किस रिकॉर्ड के आधार पर किया गया यह अस्पष्ट होने के फलस्वरूप कार्मिक/अधिकारी का प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध होता है। 3. कुल 2129 वाहनों में से 18 वाहनों की श्रेणी में परिवर्तन यथा दो पहिया से चौपहिया, चौपहिया से दुपहिया, ट्रैक्टर से चौपहिया अथवा दुपहिया, एलटीवी से मोटर कार (मूल पंजीयन रजिस्टर में दर्ज वाहन श्रेणी से भिन्न) पाया गया, जो कि किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। ऐसे में बैकलॉग के समय वाहन की श्रेणी में परिवर्तन किया जाना यह सिद्ध करता है कि संबंधित कार्मिक/अधिकारी द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों की पालना नहीं की गयी एवं नियम विरूद्ध श्रेणी परिवर्तन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वाहन के बैकलॉग के समय संबंधित कार्मिक/अधिकारी द्वारा वाहन की श्रेणी में परिवर्तन किए जाने के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध ना होने के फलस्वरूप कार्मिक/अधिकारी का प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध होता है। 4. कुल 2129 वाहनों में से 27 वाहनों के प्रकार / वाहन के विनिर्माण मॉडल में परिवर्तन पाया गया। ऐसे में बैकलॉग के समय वाहन की प्रकार में परिवर्तन किया जाना यह सिद्ध करता है कि संबंधित कार्मिक/अधिकारी द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों की पालना नहीं की गयी एवं नियम विरूद्ध प्रकार में परिवर्तन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वाहन के बैकलॉग के समय संबंधित कार्मिक/अधिकारी द्वारा वाहन की प्रकार में परिवर्तन किए जाने के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध ना होने के फलस्वरूप कार्मिक/अधिकारी का प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध होता है। 5. कुल 2129 वाहनो में से कुल 701 वाहनों के चैसिस में आंशिक / पूर्ण परिवर्तन पाया गया। जांच के समय यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ वाहनों में तो मूल रिकॉर्ड में दर्ज चैसिस नम्बर पूर्णतः परिवर्तित है अथवा अधिकांश वाहनों में चैसिस संख्या के प्रारंभ में अथवा अंत में कुछ नये अक्षर / अंको का इंद्राज किया गया है, जो मूल रजिस्टर में उपलब्ध ही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में वाहन के बैकलॉग के समय संबंधित कार्मिक/अधिकारी द्वारा वाहन के चैसिस में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन किए जाने के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध

ना होने के फलस्वरूप कार्मिक / अधिकारी का प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध होता है। 6. कुल 2129 वाहनो में से कुल 371 वाहनों की पंजीयन तिथि में परिवर्तन पाया गया। जांच के समय यह भी संज्ञान में आया है कि वाहनों के मूल रिकॉर्ड में दर्ज पंजीयन तिथि पूर्णतः परिवर्तित है, जो मूल रजिस्टर में उपलब्ध ही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में वाहन के बैकलॉग के समय संबंधित कार्मिक/अधिकारी द्वारा वाहनों की पंजीयन तिथि में परिवर्तन किए जाने के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध ना होने के फलस्वरूप कार्मिक / अधिकारी का प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध होता है। 7. कुल 2129 वाहनो में से कुल 26 वाहनों के वाहन स्वामियों के नाम में पूर्णतः परिवर्तन पाया गया। जांच के समय यह संज्ञान में आया है कि वाहनों के मूल रिकॉर्ड में दर्ज वाहन स्वामी के नाम बैकलॉग नहीं किया जाकर दिगर व्यक्ति के नाम से किया गया है, जिसका मूल पंजीयन रजिस्टर में रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में वाहन के बैकलॉग के समय संबंधित कार्मिक/अधिकारी द्वारा वाहन स्वामित्व के विवरण परिवर्तन किए जाने के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध ना होने के फलस्वरूप कार्मिक/अधिकारी का प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध होता है। 8. कुल 2129 वाहनो में से कुल 74 वाहनों के वाहन स्वामित्व विवरण, चैसिस एवं पंजीयन तिथि तीनों में ही परिवर्तन किया गया है। वाहनों के मूल रिकॉर्ड में दर्ज वाहन स्वामी के नाम, चैसिस एवं पंजीयन तिथि में परिवर्तन कर बैकलॉग किया गया है, जिसका मूल पंजीयन रजिस्टर में रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में वाहन के बैकलॉग के समय संबंधित कार्मिक/अधिकारी द्वारा वाहन स्वामित्व के विवरण, चैसिस एवं पंजीयन तिथि (तीनो में ही) परिवर्तन किए जाने के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध ना होने के फलस्वरूप कार्मिक/अधिकारी का प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध होता है। 9. कुल 2129 वाहनों में से 1738 वाहनों का बैकलॉग 31.01.2018 के बाद किया गया है, जबकि इन वाहनों का पंजीयन विभागीय कार्यालय आदेश 35/2016 के निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी (गै.प.) के कार्यालय आदेश परि/जि.प.अ./गै.प. / 2017 दिनांक 24.01.2018 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार पंजीयन निरस्त किये जाने के बावजूद भी बैकलॉग किया जाना नियम विरूद्ध है। ऐसे में वाहनों की वैधता समाप्त होने एवं विभाग द्वारा पंजीयन निरस्त करने के उपरांत भी बाद भी बैकलॉग की कार्यवाही की गई है, जो कि नियमविरूद्ध है। अतः ऐसी स्थिति में संबंधित कार्मिक/अधिकारी द्वारा पंजीयन निरस्त होने के उपरांत बिना उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना ही बैकलाग किया जाना संबंधित कार्मिक/अधिकारी का प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध करता है। विशेष टिप्पणी- श्रीमान् द्वारा प्रदत निर्देशों की पालना में अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा जांच कार्य अन्य गठित जांच दल के सहयोग से अल्पावधि में पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से किया गया है, तथापि जांच कार्य में लिपिकीय/टंकण त्रुटि की संभावना को शून्य नहीं माना जा सकता है। संलग्नः उपरोक्तानुसार। भवदीय, (ग्रेस कुमार अग्रवाल) जिला परिवहन अधिकारी (लाईसेंस)-----कार्यवाही पुलिस------प्रमाणित किया जाता है कि एक टाईपशुदा 17 पेज की श्री स्वयं प्रकाश स्वामी पुत्र स्व. श्री कल्याण दास स्वामी उम्र 58 साल जाति स्वामी निवासी 1H 55 साबरमति मार्ग इन्द्रागांधी नगर जगतपुरा पुलिस थाना खो नागोरियां जयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रथम झालाना डूंगरी पुलिस थाना गॉधी नगर जयपुर ने उपस्थित थाना होकर पेश की जिसकी नकल CCTNS मे अक्षर शः अक्षर दर्ज की गयी। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 316(4), 318(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) BNS. का अपराध पाये जाने पर तफ्तीश थानाधिकारी श्री भजनलाल CI के जुम्मे की गई प्रतिया FIR नियमानुसार जारी की गई। नोट- FIR नम्बर CCTNS से प्राप्त होने पर पृथक से अंकित किया जावेगा। Sd स्वयं प्रकाश स्वामी, Sd धर्मसिंहAsi (D/O) Ps गांधी नगर, जयपुर पूर्व दिनांक 04/01/2026

13. Action taken : **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): BHAJAN LAL **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signed by: Swayam Prakash Swami
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/01/2026 16:26:00

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Dharam Singh Gurjar
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/01/2026 16:25:18

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Dharam Singh Gurjar

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)